

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद, नामकुम, राँची -834010

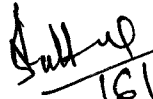
राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी महाविद्यालय, साहेबगंज में डी0फार्मा (आयुर्वेद) में
शैक्षणिक सत्र 2020-22 में नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने से
संबंधित सूचना।

प्रेस विज्ञप्ति - 02/2020

दिनांक - 16.06.2020

झारखण्ड सरकार, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, राँची के अधिसूचना संख्या - 20/आयुष (स्था0)-08/2016/354(20) दिनांक 18.09.2019 के आलोक में राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी महाविद्यालय, साहेबगंज में डी0 फार्मा (आयुर्वेद) (Diploma in Ayurvedic Pharmacy) शैक्षणिक सत्र 2020-22 के लिए नामांकन हेतु विज्ञापन संख्या 01/2020 दिनांक 16.06.2020 द्वारा I.Sc/10+2 (विज्ञान) अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का विहित प्रारूप, प्रवेश के लिए आवेदन की विधि/शर्तें झारखण्ड सरकार के वेबसाईट www.jharkhand.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

आवेदन करने की अंतिम तिथि - 31 जुलाई 2020


16/06/2020
(डॉ नुजहत सुल्ताना)
निबंधक-सह-सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय नामांकन समिति
झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद,
राँची।

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद्, नामकुम, राँची -834010
राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी महाविद्यालय, साहेबगंज में डी0फार्मा
(आयुर्वेद) में शैक्षणिक सत्र 2020-22 में नामांकन हेतु आवेदन पत्र
आमंत्रित किए जाने से संबंधित सूचना।

विज्ञापन संख्या - 01/2020

राँची, दिनांक - 16.06.2020

झारखण्ड सरकार, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, राँची के अधिसूचना संख्या - 20/आयुष (स्था0)-08/2016/354(20) दिनांक 18.09.2019 के आलोक में राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी महाविद्यालय, साहेबगंज में डी0 फार्मा (आयुर्वेद) (Diploma in Ayurvedic Pharmacy) शैक्षणिक सत्र 2020-22 के लिए नामांकन हेतु I.Sc/10+2 (विज्ञान) अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन करने की अंतिम तिथि - 31 जुलाई 2020

छात्रों की संख्या विभागीय संकल्प संख्या 29(3)/18.05.2002 द्वारा 30 (तीस) निर्धारित की गयी है।

प्रवेश के लिए आवेदन की विधि/शर्तें

1. प्रत्येक आवेदक को आवेदन पत्र का विहित प्रारूप झारखण्ड सरकार के वेबसाइट www.jharkhand.gov.in से डाउनलोड कर भरकर आवेदन करना होगा।
2. निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति स्व-अभिप्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा -
 - (a) योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति।
 - (b) संस्था के प्रधान द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण पत्र जहाँ आवेदक ने अंतिम बार अध्ययन किया हो की छायाप्रति।
 - (c) आयु प्रमाण-पत्र - मैट्रीक के प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 - (d) जाति प्रमाण-पत्र - सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 - (e) निवास प्रमाण-पत्र - सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 - (f) स्व पता लिखा पोस्ट कार्ड/AD कार्ड दो लिफाफा (12 cmX 4cm) पत्राचार का पता लिखा हुआ, जिसपर 50-50 रुपये का डाक टिकट चिपकाया गया हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
 - (g) नाम एवं तिथि लिखा हुआ दो अद्यतन फोटोग्राफ (Passport Sized Coloured Photo)।
3. उम्र - 01.01.2020 को कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए।
4. पात्रता:-
 - i. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-5938, दिनांक-14.07.2016, संकल्प संख्या-3854, दिनांक-01.06.2018 एवं संकल्प संख्या-8468, दिनांक-20.11.2018 के आलोक में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवार ही आवेदन देने के पात्र होंगे। अर्थात् झारखण्ड राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र धारित नहीं करने वाले अभ्यर्थी आवेदन समर्पित करने के पात्र नहीं होंगे। स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के संदर्भ में विस्तृत अनुदेश नीचे की कड़िका-6 में अंकित है।

/

- II. साक्षात्कार की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। निर्धारित साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
 - III. साक्षात्कार के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित अनुसार शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि, स्थानीय निवासी, इत्यादि से सम्बन्धी पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को एतद् संबंधी प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध है।
5. आरक्षण : आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा दावा किये गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है।

6. सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-9650, दिनांक-02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक-02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा।

7. सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र -
(क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में जिला उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(ख) झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के सन्दर्भ में दिनांक 29.08.2012 को अथवा इसके पश्चात् उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। किन्तु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(ग) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी "आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से वैध होना चाहिए।



(घ) दिनांक 25.02.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा उपर्युक्त वर्णित से भिन्न अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र/ आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त वर्णित से भिन्न जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(च) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(छ) अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 (अनुसूची-1), पिछड़ा वर्ग-2 (अनुसूची-2) के संबंध में केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र (OBC Certificate) मान्य नहीं होगा।

(ज) शैक्षणिक कार्य/सेना में भर्ती लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।

(झ) पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(ञ) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2358, दिनांक-10.01.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

(ट) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 (अनुसूची-1), पिछड़ा वर्ग-2 (अनुसूची-2) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थी के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा उपर्युक्त कण्डिकों में वर्णित से भिन्न जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/स्व-घोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के रिक्ति तक अनुमान्यता के सापेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन ही होगी।

नोट -(I) सक्षम स्तर से भिन्न स्तर में निर्गत जाति/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भर गये आवेदन पत्र नामांकन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(II) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में कंडिका-7(ख) में अंकित स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर उक्त प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

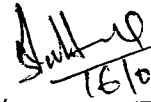
(III) विवरणिका की कंडिका-6 में वर्णित स्थानीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(IV) स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित आवेदक/आवेदक के पिता/पति के नाम एवं नाम की वर्तनी (spelling) मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में दर्ज वर्तनी (spelling) से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(V) आवेदक सक्षम स्तर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करें। उक्त प्रमाण पत्रों की मांग आवश्यकतानुसार कभी भी किया जा सकता है।

(VI) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण-पत्र जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

8. प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा-सूची तैयार की जायेगी।
9. आवेदन फार्म भरकर भेजने का पता एवं अंतिम तिथि - भरे हुए आवेदन पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निबंधक, झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद, नामकुम, राँची - 834010 के पते पर भेजना होगा।
10. साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थियों को निबंधक, झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद, नामकुम, राँची - 834010 में सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थिति होना अनिवार्य है। इसके लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. नामांकन के समय लिए जाने वाले शुल्क स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के आदेश के आलोक बैंक ड्राफ्ट के रूप में ली जाएगी।
12. आवेदन का प्रारूप झारखण्ड सरकार के वेबसाईट www.jharkhand.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।
13. शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र Recognized संस्था का ही मान्य होगा।


16/06/2020

(डॉ नुजहत सुल्ताना)

निबंधक-सह-सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय नामांकन समिति

झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद,
राँची।

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद, नामकुम, रांची -834010

Diploma in Ayurvedic Pharmacy में नामांकन हेतु
आवेदन पत्र (Application Form) Session : 2020-22

1. नाम :
- Candidate's Name :
2. पिता का नाम :
- Father's Name :
3. स्थायी पता :
- Permanent Address :
4. पत्राचार का पता :

Passport Sized
Coloured Photo

Correspondence Address :

5. शैक्षणिक योग्यता / Educational Qualification :

योग्यता Qualification	बोर्ड / कॉसिल का नाम Name of Board/Council	उत्तीर्णता की श्रेणी Division	वर्ष Year	प्राप्तांक Marks Obtained	कुल प्राप्तांक Full Marks	प्रतिशत %
मैट्रिक						
I.Sc/10+2 (विज्ञान)						
अन्य योग्यता						

6. जन्म तिथि / D.O.B :

(Age as on 1st Jan. 2020) वर्ष माह दिन

7. कोटि / Category :

(क) सामान्य (Gen) ☐ अनु0जाति (SC) ☐ अनु0जनजाति (ST) ☐
पिछड़ा (OBC) (I) अनु0 - I (Annexure. I) ☐ (II) अनु0 - II (Annexure II) ☐
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) ☐

(ख) जाति (Caste) :

(शपथ पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में भरी गई सभी सूचनाएं पूर्णतः सही हैं। यदि किसी प्रकार की गलतियाँ पायी गयीं तो मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगा/रहूँगी एवं मेरा नामांकन रद्द करते हुए मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आवेदक का हस्ताक्षर